

R.M.M. Law College.
Sahar 59
Anand Kumar Trivedi.
Part Time Teacher

अक्षय न्यायालय

Sub-Section

अक्षय न्यायालय वही है जो वाद की प्रती-की कल्पितता
नही-रखता न्यायालय की क्षमता और उसकी कल्पितता
प्रतिपक्षी शब्द है। जो न्यायालय किसी वाद की
सुनने के लिये समर्थ है जो वाद से उठे हुए नए
या विषय के प्रश्नों पर यदि वह न्यायालय सही
निर्णय नही-देता तो उस कारण पर वही कथ
जाहकता कि निर्णय अक्षय न्यायालय द्वारा
दिया गया है। या वही न्यायालय द्वारा दिया
गया है जिस वाद सुनने की कल्पितता
नही थी। अक्षय न्यायालय से कल्पित
है वही न्यायालय जिसे कल्पितता नही-थी।

कोई भी पक्षवाला या अन्य व्यक्ति जिसके
विरुद्ध इस प्रकार निर्णय साक्ष्य में प्रेष
किया जाता है वह सार्वजनिक पर सखता है कि
निर्णय अक्षय न्यायालय का है और साक्ष्य
ग्रहण करने की योग्य नही है। ऐसे निर्णय
की उपेक्षा काना प्रसिद्ध न्यायालय का
कारण है कि केवल उस न्यायालय का
निर्णय वह निर्णय है।

सकारण से कल्पित है कि
न्यायालय को किसी वाद को सुनने का उपा
या विचार नहीं और निर्णय देने का
या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार

व्यंजन कल्पिका प्रयोग करने का कल्पिका ^५

एक कल्पिका 3 प्रकार का होता है- (1) वाद की विषय, प्रत्यु के सम्बन्ध में (2) पक्षवादी के सम्बन्ध में और (3) उस विशिष्ट प्रश्न के सम्बन्ध में जो निर्णायक प्रत्युत किया जाता है।

कल्पिकाना के लक्ष्ये इह गी यदि व्यापार्य वाद वा युक्त्य है और निर्णय देना है तो एक निर्णय वाच्य होता है। किन्तु यदि कल्पिकाना है और व्यापार्य उत्तरों प्रयोग करने में मालती करता है या अपनी कल्पिकाना का अनुचित प्रयोग करता है तो उसका निर्णय वाच्य (Vocal) नहीं किन्तु अनुकूलणीय (Vindable) है और तब लक्ष्यकाल रहेगा जब तक ~~सर्व~~ सर्वप्रथम साधक ही के कल्पिकालय वह निरस्त नहीं किया जाता।

कपट

साधक कल्पिकालय कपट की परिभाषा नहीं देता किन्तु अतीत संविदा कल्पिकालय भाग 17 में कपट की परिभाषा देता है।

व्यापार्य के साथ कपट कल्पिकाना निर्णय लिया जाता है वह किसी भी व्यापार्य के आवरण नहीं करता। किसी भी रूप में ऐसा पक्षवादी जिसके विरुद्ध उस निर्णय साधक का किया जाता है वह साधक वासना है।